

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )  
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 265 ]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 3 जुलाई 2019—आषाढ़ 12, शक 1941

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 जुलाई 2019

शुद्धि पत्र

क्र. एफ 1बी-05-2010-चौदह-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मध्यप्रदेश के राज्यपाल एतद्द्वारा मध्यप्रदेश अधीनस्थ कृषि (अलिपिकीय वर्गीय) सेवा भर्ती नियम 1972 में किये गये संशोधन हिन्दी राजपत्र दिनांक 01 मार्च, 2019 की अनुसूची-दो में अनुक्रमांक 2 के कॉलम (2) पर अंकित कृषि विकास अधिकारी पद की पदोन्नति हेतु कॉलम (7) (1) (ख) में अंकित “गैर स्नातक” को “गैर कृषि स्नातक” पढ़ा जावे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
उपेन्द्रनाथ शर्मा, उपसचिव